

Original Article

बिहार विधानसभा विधायक जनप्रतिनिधि की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

धर्मेन्द्र कुमार पासवान

शोध छात्र, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

Manuscript ID:

yrj-140222

ISSN: 2277-7911

Impact Factor - 5.958

Volume 14

Issue 2

April-May-June 2025

Pp. 177-183

Submitted: 02 June 2025

Revised: 15 June 2025

Accepted: 26 June 2025

Published: 30 June 2025

Corresponding Author:

धर्मेन्द्र कुमार पासवान

Quick Response Code:



Web. <https://yra.ijaar.co.in/>



DOI:

10.5281/zenodo.20455302

DOI Link:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455302>



Creative Commons



सारांश:

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार जनप्रतिनिधित्व की प्रभावी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से जनता की आकांक्षाएँ, आवश्यकताएँ तथा समस्याएँ शासन व्यवस्था तक पहुँचती हैं। बिहार विधानसभा राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसके विधायक जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। बिहार जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से जटिल राज्य में विधायकों की भूमिका केवल कानून निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के विधायकों के समक्ष राजनीतिक अपराधीकरण, धनबल, जातीय ध्रुवीकरण, कमजोर जनसंपर्क, महिला प्रतिनिधित्व की कमी तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ प्रमुख समस्याओं के रूप में विद्यमान हैं। दूसरी ओर डिजिटल शासन, युवा भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय लोकतंत्र की मजबूती तथा पारदर्शिता के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व को अधिक प्रभावी बनाने की व्यापक संभावनाएँ भी उपलब्ध हैं। यह लेख बिहार विधानसभा के विधायकों की भूमिका, चुनौतियों तथा संभावनाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): बिहार विधानसभा, जनप्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, राजनीतिक भागीदारी, सुशासन, सामाजिक न्याय ।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.

How to cite this article:

धर्मेन्द्र कुमार पासवान (2025) बिहार विधानसभा विधायक : जनप्रतिनिधि की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ. *Young Researcher*, 14(2), 177-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20455302>

परिचय:

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जनता की संप्रभुता के प्रतीक होते हैं। भारतीय संविधान ने राज्यों में विधायिकाओं की स्थापना कर नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। बिहार विधानसभा 243 निर्वाचित सदस्यों वाली राज्य की प्रमुख विधायी संस्था है, जो राज्य की नीतियों, कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करती है।¹ बिहार की राजनीति ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय, जातीय समीकरणों, कृषि अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय विकास के मुद्दों से प्रभावित रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् बिहार में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया, किन्तु गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा सामाजिक विषमताओं ने जनप्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को प्रभावित किया है।² वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के विधायक केवल कानून निर्माता नहीं, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसमस्याओं के समाधान, प्रशासनिक जवाबदेही तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठित 18वीं बिहार विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 12 प्रतिशत रही, जबकि लगभग 53 प्रतिशत निर्वाचित विधायकों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की घोषणा की।³ यह स्थिति जनप्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उत्पन्न करती है।

बिहार विधानसभा एवं विधायक की संवैधानिक स्थिति:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधायिकाओं की संरचना, शक्तियों तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है। बिहार विधानसभा राज्य की निचली सदन (Lower House) है, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की समस्याओं, मांगों तथा अपेक्षाओं को सदन में प्रस्तुत करते हैं और राज्य सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं।⁴

विधायकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. विधि निर्माण।
2. राज्य बजट पर विचार एवं स्वीकृति।
3. सरकार की नीतियों की समीक्षा।
4. जनहित के मुद्दों को उठाना।
5. विकास योजनाओं की निगरानी।
6. लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना।

वास्तव में विधायक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के ऐसे प्रतिनिधि हैं जो जनता और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करते हैं तथा जनकल्याणकारी नीतियों को दिशा प्रदान करते हैं।⁵

बिहार में जनप्रतिनिधित्व का स्वरूप:

बिहार में जनप्रतिनिधित्व का विकास सामाजिक न्याय आंदोलनों, पिछड़ा वर्ग राजनीति तथा लोकतांत्रिक सहभागिता के विस्तार के साथ हुआ है। 1990 के दशक के बाद राज्य की राजनीति

में पिछड़े वर्गों, दलितों तथा वंचित समुदायों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक समावेशी बना।⁶

2025 के विधानसभा चुनावों के पश्चात् गठित विधानसभा में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी बढ़ी है, किन्तु महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा युवाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार विधानसभा में लगभग 29 महिला विधायक निर्वाचित हुईं, जो कुल सदस्यों का लगभग 12 प्रतिशत है।⁷

बिहार में जनप्रतिनिधित्व का स्वरूप निम्न विशेषताओं से प्रभावित होता है—

- जातीय एवं सामाजिक संरचना।
- ग्रामीण जनसंख्या का प्रभुत्व।
- क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव।
- आर्थिक असमानताएँ।
- युवाओं एवं महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी।

बिहार विधानसभा विधायकों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

■ **राजनीति का अपराधीकरण:**

बिहार की राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता तब प्रभावित होती है जब निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अपराधिक आरोप होते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा के

243 निर्वाचित विधायकों में से लगभग 130 (53 प्रतिशत) विधायकों ने अपने विरुद्ध अपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 42 प्रतिशत विधायकों पर गंभीर अपराधिक मामले लंबित हैं।⁸ इस प्रकार की स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन तथा जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। अपराधीकरण से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में धनबल और बाहुबल की भूमिका भी बढ़ जाती है।

■ **धनबल का बढ़ता प्रभाव:**

चुनावी राजनीति में आर्थिक संसाधनों की बढ़ती भूमिका लोकतंत्र की समानता की अवधारणा को कमजोर करती है। ADR के अनुसार 2025 में निर्वाचित लगभग 90 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं तथा उनकी औसत संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।⁹

धनबल के कारण सामान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सीमित संसाधनों वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना कठिन हो जाता है। इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का लोकतांत्रिक चरित्र प्रभावित होता है।

■ **जातीय एवं सामाजिक ध्रुवीकरण:**

बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों से प्रभावित रही है। यद्यपि जाति आधारित राजनीतिक जागरूकता ने पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया, किन्तु अत्यधिक जातीय ध्रुवीकरण कई बार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों को पीछे छोड़ देता है।¹⁰

जातीय राजनीति के कारण विधायक व्यापक जनहित के स्थान पर सीमित सामाजिक समूहों के हितों पर अधिक केंद्रित हो सकते हैं, जिससे समावेशी विकास प्रभावित होता है।

■ महिला प्रतिनिधित्व की कमी:

महिलाओं की मतदान में भागीदारी निरंतर बढ़ी है और कई चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। इसके बावजूद विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है।¹¹

यह स्थिति लैंगिक समानता तथा लोकतांत्रिक समावेशन के सिद्धांतों के विपरीत है। महिलाओं की कम भागीदारी नीति निर्माण में महिला दृष्टिकोण के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बाधित करती है।

■ जनता और प्रतिनिधियों के मध्य दूरी:

कई बार विधायक चुनाव के बाद जनता से प्रत्यक्ष संवाद बनाए रखने में असफल रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत समस्याएँ, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विलंब तथा विकास योजनाओं के असमान क्रियान्वयन के कारण जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। जनसुनवाई व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण तथा स्थानीय संवाद तंत्र की कमी इस समस्या को और बढ़ाती है।¹²

■ प्रशासनिक एवं विकासात्मक चुनौतियाँ:

बिहार आज भी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना तथा प्रवासन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। विधायक विकास योजनाओं की निगरानी करते हैं, किन्तु सीमित संसाधन, नौकरशाही जटिलताएँ तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।¹³

बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधित्व की संभावनाएँ:

■ लोकतांत्रिक जागरूकता का विस्तार:

शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया के विस्तार ने नागरिकों को अधिक जागरूक बनाया है। मतदाता अब विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने लगे हैं। इससे जवाबदेह जनप्रतिनिधित्व की संभावना बढ़ी है।¹⁴

■ महिला राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि:

बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण ने महिला नेतृत्व को मजबूत किया है। स्थानीय स्तर पर विकसित यह नेतृत्व भविष्य में विधानसभा और संसद तक पहुँच सकता है। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक चेतना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक समावेशी बनाने की क्षमता रखती है।¹⁵

■ **डिजिटल लोकतंत्र और ई-गवर्नेंस:**

डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन शिकायत प्रणालियाँ विधायकों और जनता के बीच संवाद को अधिक प्रभावी बना रही हैं। डिजिटल पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करने तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक हो सकती है।¹⁶

■ **युवा नेतृत्व का उदय:**

बिहार की जनसंख्या में युवाओं का अनुपात अत्यधिक है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय युवा नई राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। यदि राजनीतिक दल युवाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करें तो विधानसभा में नवाचार, पारदर्शिता और विकासोन्मुखी नेतृत्व का विस्तार संभव है।¹⁷

■ **सामाजिक न्याय और समावेशी विकास:**

बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति ने पिछड़े वर्गों, दलितों तथा वंचित समुदायों को राजनीतिक मंच प्रदान किया है। भविष्य में यह प्रक्रिया अधिक समावेशी और विकासोन्मुखी रूप ग्रहण कर सकती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता में सुधार होगा।¹⁸

● **चुनावी सुधारों की संभावनाएँ:**

चुनाव आयोग, न्यायपालिका तथा नागरिक समाज संगठनों द्वारा चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का खुलासा,

चुनावी व्यय की निगरानी तथा तकनीकी सुधार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं।¹⁹

सुझाव:

1. राजनीति के अपराधीकरण को रोकने हेतु कठोर कानूनी प्रावधान लागू किए जाएँ।
2. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए।
3. महिलाओं के लिए विधानसभा एवं संसद में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
4. विधायकों की कार्यप्रणाली का नियमित सामाजिक अंकेक्षण हो।
5. युवाओं को राजनीतिक नेतृत्व में अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ।
6. डिजिटल जनसंपर्क प्रणाली विकसित की जाए।
7. निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को और मजबूत किया जाए।
8. विधायकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

निष्कर्ष:

बिहार विधानसभा के विधायक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे केवल कानून निर्माता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, विकास तथा जनकल्याण के वाहक भी हैं। वर्तमान समय में अपराधीकरण, धनबल, जातीय ध्रुवीकरण, महिला प्रतिनिधित्व की कमी तथा

प्रशासनिक चुनौतियाँ जनप्रतिनिधित्व की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रही हैं। इसके बावजूद लोकतांत्रिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शासन, युवा नेतृत्व तथा चुनावी सुधारों के माध्यम से बिहार में अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और समावेशी जनप्रतिनिधित्व की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जाए, तो बिहार विधानसभा लोकतांत्रिक विकास और सुशासन का सशक्त मंच बन सकती है।

संदर्भ सूची:

1. PRS Legislative Research. (2025). *Profile of the 18th Bihar Legislative Assembly*. New Delhi: PRS India, pp. 1–8.
2. Austin, G. (1999). *Working a Democratic Constitution*. New Delhi: Oxford University Press, pp. 45–62.
3. Association for Democratic Reforms (ADR). (2025). *Analysis of Criminal Background, Financial, Education, Gender and Other Details of Winning Candidates in Bihar Assembly Election 2025*. New Delhi, pp. 3–18.
4. Basu, D. D. (2023). *Introduction to the Constitution of India*. New Delhi: LexisNexis, pp. 245–258.
5. Kashyap, S. C. (2021). *Our Constitution*. New Delhi: National Book Trust, pp. 183–194.
6. Jha, H. (2018). *Political Processes in Bihar*. New Delhi: Sage Publications, pp. 112–136.
7. International Journal of Humanities and Social Science Management. (2025). *Women Representation in Bihar Legislature*, Vol. 6(4), pp. 20–29.
8. Association for Democratic Reforms (ADR). (2025). *Winners Report: Bihar Assembly Election 2025*. New Delhi, pp. 5–14.
9. National Election Watch & ADR. (2025). *Financial and Criminal Background of Bihar MLAs*. New Delhi, pp. 8–16.
10. Yadav, Y., & Palshikar, S. (2019). *Electoral Politics in Indian States*. New Delhi: Orient Blackswan, pp. 140–159.
11. Election Commission of India. (2025). *Statistical Report on Bihar*

- Legislative Assembly Elections. Annual Report. New Delhi, pp. 42–58.*
12. Government of Bihar. (2024). *Good Governance and Public Accountability Report. Patna: General Administration Department, pp. 18–31.*
13. NITI Aayog. (2024). *State Development Report: Bihar. New Delhi, pp. 74–96.*
14. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Democratic Governance and Citizen Participation Report. New York, pp. 34–48.*
15. Ministry of Panchayati Raj, Government of India. (2024). *Women Leadership in Local Governance. New Delhi, pp. 25–41.*
16. World Bank. (2023). *Digital Governance and Public Service Delivery. Washington D.C., pp. 50–66.*
17. UNESCO. (2023). *Youth Participation in Democratic Governance. Paris, pp. 19–33.*
18. Government of India. (2024). *Social Justice and Empowerment*
19. Election Commission of India. (2025). *Electoral Reforms and Voter Participation Report. New Delhi, pp. 10–27.*